(14)

श्री राकेश मिश्र
वकील पेपो/ अर

R 902-III/13

राम मनोहर यादव तनय जोखू यादव, उम्र 62 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम/पोस्ट बरका, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, (म.प्र.)

.... आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामप्रसाद यादव तनय खुलुर यादव, उम्र 80 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम/पोस्ट बरका, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, (म.प्र.)

2. शासन मध्यप्रदेश।

(1) राधोराम तनय रामप्रसाद
(2) नन्दराम यादव
(3) नन्दलाल तनय रामप्रसाद
(4) ...
(5) ...

.... अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, रीवा, (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 621/निग./2010-11, आदेश दिनांक 10.12.2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ईस्वी।

मान्यवर,

:: निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं ::

-- आवेदन पत्र

-2

(11)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 902–तीन/13 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-07-18	उभय पक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 621/निग./2010–11 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा)की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदक अभिभाषक ने लिखित तर्क में मुख्य रूप यह तर्क किया है कि आवेदक रामनोहर यादव ने नामांरतण का आवेदन पत्र सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अनावेदक रामप्रसाद ने सहमति का जवाब दिया कि आराजी नम्बर 2066 एवं 2040 रकबा 0.40 एकड़ एवं 0.80 एकड़ स्थित ग्राम बरका का नामांतरण राममनोहर के नाम कर दिये जाये। उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रश्नाधीन भूमियों का नामांतरण आदेश दिनांक 14.06.1997 से आवेदक के पक्ष स्वीकार किया साथ ही पटवारी हल्का के रिकार्ड दुरूस्त करने का भी आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त आवेदक ने आराजियों की इत्तलाबी दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार देवसर के समक्ष पेश किया, जिसमें तहसीलदार ने दिनांक 08.06.2010 को इत्तलाबी दर्ज करने का आदेश दिया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर	

कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश की थी । तहसीलदार द्वारा इत्तलाबी आदेश में जितने भूमि नम्बर का नामांतरण किया गया था, उतने ही भूमि नम्बर व रकवा की इत्तलाबी दर्ज की गई, इस कारण अपर कलेक्टर ने निगरानी निरस्त की है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरण आदेश की मूल प्रति प्रस्तुत की थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरण आदेश की मूल प्रति के बारे में अपने आदेश में कोई भी विवरण पेश नहीं किया है। इस आधार पर विचारण न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना है। अधीनस्थ न्यायलय ने 15 वर्ष बाद इत्तलाबी के आवेदन पत्र को मान्य नहीं किया है, जबकि 15 वर्ष बाद इत्तलाबी के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर किसी भी आदेश का प्रभाव इस प्रकरण में समाप्त नहीं होता । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य तर्क यह किया है कि उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा मूल आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। जबकि आवेदक को कोई आपत्ति भी तो आदेश दिनांक 14.06.1997 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करके सभी त्रुटियों के बारे में तथ्य का उल्लेख करते, लेकिन आवेदक द्वारा ऐसा नहीं किया गया । तहसीलदार देवसर द्वारा इत्तलावी दर्ज करने का आदेश विधिसंगत था। अतः निगरानी निरस्त की जावे ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकोंके तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के नामांतरण आदेश दिनांक 14.06.1997 की इत्तलावी दिनांक 28.09.2010 को की गई अर्थात् 15 वर्ष के अंतराल के उपरांत इस प्रकार के औचित्यकारक कारण स्पष्ट नहीं है। मूल प्रकरण देखने पर नहीं पाया गया ।

उसके उपरांत भी तहसीलदार ने इत्तलावी क्यों कि तथा अनुविभागीय अधिकारी ने भी विचारण न्यायालय के आदेश को उचित ठहराया है जो आधारहीन है । जब बन्दोबस्त 83–84 से 88–89 तक चला तथा बन्दोबस्त दल भी चला गया था तब 97 में कैसे प्रकरण दर्ज हुआ तथा कैसे आदेश हुआ और प्रकरण कहां गया, इस पर कोई गौर नहीं किया गया । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अभिलेख के विपरीत इस प्रकरण में जो इत्तलावी दर्ज किये जो औचित्यपूर्ण नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा इन्हीं स्थितियों पर परीक्षण कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है, जो उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 10.12.2012 स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो।

10/7/18

(आर.के. मिश्रा)
सदस्य